हरलालसिंह / कैलाश - 23/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28/8/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट व अ.प्र.वि. के रजि. नोटिस पेश किए। पत्रावली जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 7.10.24 को पेश हो।	
7.10.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 11.11.24 को पेश हों।	
11.11.24	आज पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट व प्रस्तुत अधिकारी महोदय आज..... है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.11.24 को पेश हो।	
12.11.24	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर